# नगर परिषद ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

## अंकेक्षण अवधि 1.4.12 से 31.3.14

## भाग–एक

**1 प्रारम्भिकः–**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनाँक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2012 से 31.3.14 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित अध्यक्ष व सचिव कार्यरत रहेः–**

**(1) अध्यक्ष**

| क्रमांक | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती अनिल प्रभा | 1.4.2012 से 31.3.2014 |

**(2) सचिव/कार्यकारी अधिकारी**

| क्रमांक | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री जगपाल सिंह (सचिव) | 1.4.2012 से 12.9.2012 |
| 2 | श्री शिव सिंह सेन (सचिव) | 13.9.2012 से 5.3.2013 |
| 3 | श्री पी0सी0 बत्रा (सचिव) | 6.3.2013 से 9.12.2013 |
| 4 | श्री महेश दत्त (कार्यकारी अधिकारी) | 10.12.2013 से 31.3.2014 |

**(ख) गम्भीर आपत्तियों का संक्षिप्त सारः–**

| क्र0सं0 | गम्भीर अनियमितताओं का सम्बन्धित सार | पैरा संख्या | राशि ₹ लाख में |
|---|---|---|---|
| 1 | दिनाँक 31.3.2014 का अनुदानों को अनुपयुक्त राशि | 6 (क) | ₹549.33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना | 6 (ख) | ₹140.95 |
| 3 | गृहकर की लम्बित वसूली | 7 (क) | ₹103.81 |
| 4 | निर्धारित दर से गृह कर की माँग न करने के फलस्वरूप परिषद को वित्तीय हानि | 7 (ख) | ₹10.33 |
| 5 | दुकानों के किराये की लम्बित वसूली | | ₹58.94 |
| 6 | जी0डी0 हयूम पाईप की खरीद पर अपव्यय | | ₹1.64 |
| 7 | कर्मचारियों की वेतन एवं भत्ते के रूप में अनुचित भुगतान | | ₹4.56 |

## (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिसके फलस्वरूप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों से सम्बन्धित पैरों के अतिरिक्त अन्य पैरों का भी कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी समायोजन/निपटारा सम्भव नहीं हो सका यह चिन्ताजनक है। अतः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ यह प्रकरण पुनः इस आशय से लाया जाता है कि नगर परिषद अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों से सम्बन्धित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढ़ंग से अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु पुनः उचित निर्देश देने की अनुकम्पा करें ताकि गत कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े अनुच्छेदों का समायोजन हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट "छ"** पर दी गई है।

## भाग–दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/12 से 3/14 के लेखों का अंकेक्षण, श्री राज कुमार अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 19.6.14 से 24.7.14 के दौरान नगर परिषद ज्वालामुखी में किया गया। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है।

**आयः–** 3/13 व 3/14

**व्ययः–**2/13 व 12/13

यहां पर यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद ज्वालामुखी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

## 3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद ज्वालामुखी के अवधि 4/12 से 3/14 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹33000/–आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159 दिनाँक 22.7.14 द्वारा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया है।

## 4 वित्तीय स्थितिः–

**(i)** नगर परिषद की अवधि 1.4.2012 से 31.3.2014 की स्वयं व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय की वित्तीय स्थिति का विवरण **(परिशिष्ट "क" पर संलग्न)** के आधार पर निम्नानुसार थी। बैंक से समाधान का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** पर विस्तार से दिया गया है।

| **वर्ष** | **प्रारम्भिक शेष** | **आय** | **कुल** | **व्यय** | **अन्तिम शेष** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | 26125207 | 36781958 | 62907165 | 16634202 | 46272963 |
| 2013–14 | 46272963 | 29800384 | 76073347 | 20387712 | 55685635 |

**(ii)** ₹1500 का चैक संख्या 218696 दिनाँक 4.1.2013 को परिषद द्वारा जारी किया गया था लेकिन इसे बैंक में अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया इस सम्बन्ध में बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त करके इस राशि को रोकड़ बही में पुनः लेखाकिंत किया जाए।

**5 सावधि जमा योजनाः–**

नगर परिषद ज्वालामुखी में दिनांक 31.3.14 को सावधि जमा योजना में "Own Sources" तथा "Grants" में ₹8803483/–निवेशित की गई है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है।

**6 अनुदानः–**

**(क)** अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14 विभिन्न संस्थाओं से परिषद को प्राप्त अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है।

| **वित्तीय वर्ष** | **आरम्भिक शेष** | **वर्ष के दौरान प्राप्त राशि** | **कुल योग** | **वर्ष के दौरान व्यय राशि** | **व्यय हेतु शेष राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | 25475270 | 25936271 | 51411541 | 5664076 | 45747465 |
| 2013–14 | 45747465 | 17616786 | 63364251 | 8430823 | 54933428 |

**(2) दिनाँक 31.3.2014 की अनुदान की अनुपयुक्त राशि ₹54933428/–**

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.3.2014 को गत वर्षों में अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों में से ₹54933428/– व्यय हेतु शेष पाई गई। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व अनुदान राशियो ंको निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देंश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहाँ एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह हुआ है वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए है। अतः अनुपयुक्त इस राशि को समयवध प्रयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त इस राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर समयवध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

**(ख) ₹14094899/– के व्यय सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करनाः–**

अंकेक्षण में उपलब्ध सूचना **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से ₹14094899/– का व्यय किया गया दर्शाया गया है। अनुदान के रूप में प्राप्त

राशि की अनुदान रजिस्टर में प्राप्ति की प्रविष्टियाँ दर्ज है लेकिन अनुदान की राशि जिन–2 उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गई है, की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि अनुदान रजिस्टर में अनुदान राशि के निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर व्यय करने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/दिनाँक, बिल/वाऊचर इत्यादि अनुदान रजिस्टर में दर्ज किया जाए व सत्यापना हेतु सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। ताकि व्यय के सत्यता की पुष्टि की जा सके।

## 7 गृहकरः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में गृहकर की वसूली तथा इसके निर्धारण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

### (क) दिनाँक 31.3.2014 को गृहकर की ₹10381308/– वसूली हेतु शेष पाई जानाः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ङ"** के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद में दिनांक 1.4.12 को गत वर्षों के गृहकर के रूप में ₹8832044/–वसूली हेतु शेष थे। अवधि 1.4.12 से 31.3.14 के दौरान ₹1549264/–की अतिरिक्त मांग की गई लेकिन अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर के रूप में कोई भी वसूली नहीं की गई जो एक आपत्तिजनक है। नगर परिषद द्वारा आज दिन तक किसी भी व्यक्ति को भी गृहकर की वसूली हेतु नोटिस जारी नहीं किया है व न ही गृहकर की वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा गृहकर की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 258 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष ₹10381308/–की वसूली सम्भव हो सके व नगर परिषद की अपने स्त्रोतों की आय मे ंवृद्धि सम्भव हो सके। इस प्रकरण में कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ख) गृहकर का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर न करने के फलस्वरूप परिषद को ₹1032842 / –की वित्तीय हानिः–**

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0–एच(सी)(10)–7 / 98 दिनांक 17.11.03 के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजन से प्रत्येक शहरी निकाय को गृह कर की दर का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

| वित्तीय वर्ष | गृह कर की प्रतिशतता |
|---|---|
| 2002–03 | 7.5% |
| 2003–04 | 8.5% |
| 2004–05 | 10% |
| 2005–06 | 11.5% |
| 2006–07 | 12.5% |

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नगर परिषद द्वारा लगभग 9 वर्ष बाद भी गृहकर की गणना वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में 7½**%** की दर से की गई है व गत 13 वर्षों से कभी भी उक्त प्रतिशतता नहीं बढ़ाई गई है। इस प्रकार नगर परिषद को वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 के दौरान लगभग ₹1032842 / –की आय की हानि हुई है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

| वित्तीय वर्ष | 7½% से गृहकर की गणना | 12½% की दर से गृहकर की गणना | अन्तर |
|---|---|---|---|
| 2012–13 | 744632 | 1291053 | 516421 |
| 2013–14 | 744632 | 1291053 | 516421 |
| | | **योग** | **₹1032842** |

अतः परामर्श दिया जाता है कि परिषद द्वारा गृहकर का निर्धारण 12½**%** की दर से करना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत की अपने स्त्रोतों से आय की बढ़ौतरी सम्भव हो सके व नगर परिषद में अधिक से अधिक विकासात्मक कार्य करवाये जा सके।

इसके अतिरिक्त शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या नं0 यू0डी0एच0(सी)(10)–7/98–II, दिनांक 5.08.04 के अनुसार द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनूरूप गृहकर की दर वार्षिक मूल्य के आधार पर 7½**%** से लेकर 12½**%** के बीच निर्धारित की जानी अपेक्षित थी व वित्तीय वर्ष 2006–07 में 100**%** अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 से गृहकर की दर 12½**%** निर्धारित की जानी अनिवार्य थी। उक्त दिशा निर्देशों का पालन न करने पर ही नगर परिषद की गत वर्षों में अनुदान के रूप में 25**%** कम प्राप्त राशि की प्राप्ति भी सम्भव हो सकती थी परन्तु नगर परिषद द्वारा 8 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी निदेशालय शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश की उक्त पत्र में दिए गए स्पष्ट निर्देशों की अनुपालना नहीं की है। जिसके फलस्वरूप गत वर्षों में 25**%** कम प्राप्त हुई अनुदान राशि अभी तक नगर परिषद को प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार 25**%** अनुदान राशि प्राप्त न होने हेतु नगर परिषद स्वयं उत्तरदायी है। अतः सुझाव दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में गृहकर का आंकलन वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप 12½**%** की दर से किया जाए व तदोपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि गत वर्षों में अनुदानों के रूप में 25**%** कम प्राप्त राशि को प्राप्त किया जाना सम्भव हो सके।

**8 दुकानों के किराये के रूप में दिनाँक 31.3.14 को ₹5893680/– वसूली हेतु शेषः–**

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "च"** के अनुसार अंकेक्षण को उपलबध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.14 को दुकानदारों से किराये के रूप में ₹5893680/–वसूली हेतु शेष थे। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसीपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स म्यूनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत रहती है तब सम्बन्धित नगर परिषद/पंचायत सचिव लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित पत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव कर देय राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था व्यक्ति को वारंन्ट जारी करेगा तथा वान्रट जारी करने के वावजूद भी

भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानो के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए।

## 9 दुकानदारों से व्यवसायिक कर के रूप में दिनाँक 31.3.2014 को ₹24386/– वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनाँक 31.3.2014 को दुकानदारों से व्यवसायिक कर के रूप में ₹24386/– वसूली की जानी शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स, शुल्क म्यूनिसिपल का देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह अदत रहती है तब नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा तथा नियम 258, उपनियम (2) व (3) में किए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति यदि नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सचिव देय राशि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारन्ट जारी करेगा तथा इसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा व्यवसायिक कर की वसूली हेतु उक्त प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि शेष राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

## 10 ₹23539/– कर ब्याज के रूप में वित्तीय हानिः–

दिनाँक 28.5.12 को एफ0डी0 संख्या 071700 डी0पी0 00006216 के अन्तर्गत ₹3912974 की राशि 7.50**%** ब्याज की दर से 6 माह हेतु सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित की गई जिसकी परिपक्वता तिथि 28.11.12 थी व परिपक्वता राशि ₹4061086/– प्राप्त होनी थी लेकिन उक्त सावधि निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि को 44 दिन बाद 11.1.13 को परिपक्व करवाया गया व बैंक द्वारा ₹4083116/– परिपक्वता राशि प्रदान की

गई लेकिन बैंक द्वारा 44 दिन हेतु केवल ₹22030/– ही ब्याज प्रदान किया गया। यदि उक्त राशि ₹4061086/– को दिनाँक 28.11.12 को ही 9% सावधिक ब्याज की दर से एक वर्षीय हेतु निवेशित किया जाता तो नगर परिषद को 44 दिन हेतु ₹45569 (378019X44/365) सावधिक को ब्याज के रूप में ₹23539 (45569–22030) की हानि हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अतः ब्याज स्वरूप हुई हानि का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाए।

**11 अतिथि गृह के किराया ₹105000/– की कम वसूलीः–**

नगर परिषद द्वारा बस स्टैण्ड पर निर्मित अतिथि गृह ₹21000/– मासिक किराए पर दिनाँक 2.3.2009 को अविनाश एंड कम्पनी को आबंटित किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त अतिथि गृह के किराए की जाँच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित फर्म/संविदाकार द्वारा माह 6/13 से 3/14 तक मासिक किराया ₹21000/– प्रतिमाह की जगह ₹10500/– ही प्रतिमाह जमा करवाया है जिसके कारण 6/13 से 3/14 तक उक्त संस्था ने 10 माह हेतु ₹10500/– प्रतिमाह की दर से ₹105000/– मासिक किराया कम जमा करवाया है। ₹21000/– मासिक किराए की जगह ₹10500/–मासिक किराया वसूलने हेतु नगर परिषद के किराया संग्रह कर्मचारी द्वारा तर्क दिया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा ₹5 लाख अग्रिम राशि जमा करवाई गई है जिसमें 50% किराया समायोजित किया गया है, जोकि पूर्णतया अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत है, क्योंकि उक्त फर्म के साथ किए गए अनुबन्ध में कहीं भी 50% किराया (मासिक) अग्रिम राशि से समायोजित करने की कोई शर्त नहीं है न ही इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई। अतः दिनाँक 31.3.14 तक मासिक किराए के रूप में 50% शेष बची राशि ₹105000/– सम्बन्धित संविदाकार से 15% विलम्ब शुल्क सहित जैसा कि अनुबन्ध में प्रावधान है, वसूलने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**12 बस स्टैण्ड पर निर्मित शौचालय का ठेका वित्तीय वर्ष 2009–10 की दरों की तुलना 2012–13 में कम दरों पर देने के कारण नगर परिषद को ₹9800/– की वित्तीय हानिः–**

बस स्टैण्ड पर निर्मित शौचालय का ठेका वित्तीय वर्ष 2009–10 में ₹185000/– में श्री राजू सुपुत्र श्री राम चन्द वार्ड नम्बर 7, ज्वालामुखी को दिया गया है व वित्तीय वर्ष

2012–13 में उक्त शौचालय का ठेका इसी ठेकेदार को ₹175200/– में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में उक्त शौचालय का ठेका वित्तीय वर्ष 2009–10 की तुलना में कम दरो पर देने के कारण नगर परिषद ₹9800/– (185000–175200) की वित्तीय हानि हुई है। यहां यह भी उल्लेखित करना उचित रहेगा कि वित्तीय 2010–11 व 2011–12 में भी उक्त शौचालय का ठेका इसी संविदाकार को वित्तीय वर्ष 2009–10 की दरों की तुलना में कम दरों पर दिया गया है। नियमानुसार गत वर्षों की दरों की तुलना में कम दरों पर ठेका आंबटित करना तर्क संगत नहीं है व गत वर्ष में ठेके से प्राप्त राशि को आधार मूल्य/सुरक्षित मूल्य बनाकर उससे उपर बोली लगाई जानी अपेक्षित थी यदि नगर परिषद द्वारा उक्त नियम की अनुपालना की होती, तब नगर परिषद को उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अधिक आय प्राप्त हो सकती थी लेकिन नगर परिषद द्वारा 5 वर्षों से उक्त ठेका एक ही व्यक्ति को देने के कारण उक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि होने की बजाय कमी हुई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

**13 बस अडडा की नीलामी का ठेका वित्तीय वर्ष 2013–14 में आरक्षित राशि से कम राशि पर देने के कारण नगर परिषद को ₹79000/– की वित्तीय हानिः–**

बस अडडा की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–2014 हेतु बस अडडा की नीलामी हेतु न्यूनतम सरकारी बोली/आरक्षित राशि ₹68 लाख निर्धारित की गई व बस अडडे की नीलामी का ठेका श्री नरेन्द्र कुमार ठेकेदार को ₹6721000/– में खुली बोली द्वारा आंबटित किया गया है, जोकि नीलामी के नियमों के विपरीत है। नियमानुसार नीलामी का ठेका आरक्षित मूल्य से कम राशि पर आंबटित नहीं किया जा सकता है व आरक्षित राशि से कम राशि की बोली लगने की अवस्था में नीलामी रदद करने उपरान्त पुनः नीलामी की तिथि निर्धारित की जानी अनिवार्य थी। नीलामी की उक्त दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण नगर परिषद ज्वालामुखी को ₹79000/– की वित्तीय हानि हुई है। अतः उक्त वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

**14 नीलामी की शर्तों के विपरीत अग्रिम राशि का मासिक किश्तों में समायोजित करनाः–**

वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में बस अडडे की नीलामी का ठेका क्रमशः ₹6773000 व ₹6721000 में श्री नरेश शर्मा व नरेन्द्र कुमार ठेकादार को दिया गया। नीलामी

व अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार को ठेका राशि का 1/4 भाग अग्रिम रूप में नगर परिषद के पास जमा करवाना अनिवार्य है व उक्त राशि ठेका अवधि की समाप्ति तक नगर परिषद के पास आरक्षित रहेगी व ठेका अवधि की समाप्ति उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को वापिस की जायेगी। नगर परिषद द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में उक्त ठेकेदारों से प्राप्त 1/4 अग्रिम राशि क्रमशः ₹1678250 व ₹1680250 ठेकेदारों से ली जानी वाली मासिक किश्तों में ठेका अवधि समाप्ति के 3 माह पूर्व ही किराए के विरूद्ध समायोजित कर दी गई है जोकि नीलामी की शर्तों व अनुबन्ध की धाराओं के विपरीत है। उक्त अनियमित प्रक्रिया के कारण जहाँ ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का अप्रोक्ष प्रयास है वहीं ठेकेदार द्वारा 10 मासिक किश्तों की जगह 7 मासिक किश्तें ही नियमित रूप में जमा करवाई है व माह दिसम्बर में 8वीं किश्त की राशि अग्रिम राशि समायोजित करने उपरान्त शेष राशि ही जमा करवाई है। उक्त अनियमित व दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण नगर परिषद को ब्याज स्वरूप होने वाली आय से वंचित होना पड़ा। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

**15 बस अडडा की नीलामी हेतु आरक्षित राशि से कम राशि से बोली शुरू करवाने के कारण ठेका राशि में गत वर्षों की तुलना बहुत कम वृद्धि होनाः–**

वित्तीय वर्ष 2012–13 में व 2013–14 में बस अडडे की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य क्रमशः ₹606800/– रखा गया वित्तीय वर्ष 2012–13 में नीलामी/बोली 45 लाख व 2013–14 में बोली 40 लाख से आरम्भ करवाई गई है जोकि नीलामी के नियमों के विपरीत है। उक्त दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण वित्तीय वर्ष 2013–14 में ठेका राशि में वित्तीय वर्ष 2012–13 की तुलना में मात्र ₹8000/– की वृद्धि हुई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2012–13 में ठेका राशि में वित्तीय वर्ष 2011–12 की तुलना ₹10300/– व वित्तीय वर्ष 2011–12 में ठेका राशि में वृद्धि हुई है जोकि निम्नलिखित तालिका से स्वतः स्पष्ट है।

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | नीलामी/ठेका राशि | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010–11 | 4275000 | |
| 2 | 2011–12 | 5710000 | 1435000 |
| 3 | 2012–13 | 6713000 | 1003000 |
| 4 | 2013–14 | 6721000 | 8000 |

अतः नगर परिषद को बस अडडा नीलामी से होने वाली वार्षिक आय को बढ़ाने हेतु परामर्श दिया जाता है कि आगामी वर्षों में बस अडडे की नीलामी करते समय बोली नियमानुसार आरक्षित राशि से उपर आरम्भ करवाई जाये ताकि नगर परिषद को वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 की भान्ति नीलामी से अधिक आय प्राप्त हो सके व नगर परिषद के स्वयं के स्त्रोतों से आय अधिक हो सके। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 16 सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को ₹26096/– का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 401 दिनाँक 6.12.13 के अन्तर्गत ड्राफ्ट संख्या 000618 दिनाँक 6.12.13 के द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन शिमला को 600 बैग सीमेन्ट की एवज में ₹134567/– का अग्रिम भुगतान किया गया। उक्त अग्रिम भुगतान राशि के बदले जी0आर0 नम्बर 0002619923 दिनाँक 20.12.13, 0005527119 दिनाँक 21.2.13 व 0005526991 दिनाँक 21.12.13 के माध्यम से 600 बैग सीमेन्ट नगर परिषद को भेजा गया। जी0आर0 के साथ संलग्न बिलों के अनुसार 200 बैग सीमेन्ट का मूल्य ₹28308 व ट्रक भाड़ा ₹7849 कुल ₹36157/– व 600 बैग का कुल भुगतान ₹108471 (₹36157X3) बनता है जबकि नगर परिषद द्वारा बिना किसी परफोर्मा इनबॉयस (Performa Inovice) के 600 बैग बैग हेतु ₹134657/– अग्रिम के रूप में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को भुगतान किए है। इस प्रकार 600 बेग सीमेन्ट के विरूद्ध कॉरपोरेशन को ₹26096/– (₹134567–108471) को अधिक भुगतान किया गया। उपरोक्त उल्लेखित अधिक भुगतान की गई राशि ₹26096/– की वसूली हेतु या आगामी बिलों में समायाजित करवाने हेतु नगर परिषद द्वारा कोई भी पत्राचार/कार्यवाही नहीं की गई, जिसका औचित्य ठोस साक्ष्यों सहित स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित संस्था से उक्त राशि की वसूली हेतु तुरन्त वाँछित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में उक्त संस्था को भेजी गई अग्रिम राशि का वास्तविक बिलों से मिलान किया जाए व अधिक भुगतान की अवस्था में राशि वापिसी हेतु अथवा आगामी बिलों में अधिक भेजी गई राशि के समायोजन हेतु वाँछित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 **बिना औचारिकता पूर्ण किये ₹104432/– के सामान की खरीद करने बारेः–**

**(i)** वाऊचर 406 (i) दिनाँक 2.12.13 ₹28482 व वाउचर संख्या 460 दिनाँक 4.2.2013 के अन्तर्गत ₹75950 मैसर्ज संजय इलैक्ट्रोनिक्स, ज्वालामुखी को कुल ₹104432/– का भुगतान निम्नलिखित सामान क्रय करने पर किया गया है।

| क्र0सं0 | बिल सं0 | दिनाँक | सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | 26.9.13 | सी0एफ0एल0 65 वॉट | 25 | 590 | 14750 |
| 2 | 925 | 17.10.13 | टयूब रॉड 4 फुट | 30 | 43.75 | 1312.50 |
| | | | टयूब रॉड र्स्टाटर | 50 | 10 | 500 |
| | | | चॉक 40 वॉट | 8 | 140 | 1120 |
| | | | सी0एफ0एल0 35 वॉट | 40 | 270 | 10800 |
| 3 | | | सी0एफ0एल0 35 वॉट | 50 | 270 | 13500 |
| 4 | | | सी0एफ0एल0 65 वॉट | 15 | 590 | 8850 |
| 5 | | | सी0एफ0एल0 फिक्चर 65 वॉट | 40 | 1340 | 53600 |
| | | | | | | **104432.50** |

उक्त बिल की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त बिजली का सामान बिना औपचारिकता पूर्ण किए खुले बाजार से खरीदा गया जबकि इन वस्तुओं का क्रय सरकारी उपक्रम अथवा सरकार की दर संविदा व संविदाकार आधार पर खरीदा जाना अपेक्षित था जिसके अभाव में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने से वाँछित होना पड़ा। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

**(ii)** क्रम संख्या 2 व बिल संख्या 925 में उल्लेखित सामान 8 नम्बर मूलय ₹1120 व 50 टयूब रॉड र्स्टाटर मूल्य ₹500 कुल ₹1620 के सामान की स्टॉक प्रविष्टि व जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है जबकि इसके पर्व व बाद में खरीदे गए इस प्रकार के सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है। स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत अभिलेख के अभाव में क्रय दर्शाए गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः पूर्ण छानबीन

उपरान्त सामान के प्राप्ति होने की अवस्था में वाँछित व खपत से सम्बन्धित अभिलेख अब तैयार किया जाए व भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाई जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

**18 ₹163991 का अपव्ययः–**

वाऊचर संख्या 431 दिनाँक 19.01.13 के अन्तर्गत मैसर्ज जी0डी0 हयूम पाईप, चैतडू को ₹163991/– का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

| **बिल सं0 व माह** | **सामान का विवरण** | | | |
|---|---|---|---|---|
| 234/9.12.13 | आर0सी0सी0 पाईप हाफ राउंड 150 mm dia NP 2 meter Long 100 नं0 | 200 मी0 | 174 | 34800 |
| | 250 mm dia NP 2 meter Long 120 नं0 | 240 मी0 | 240 | 57600 |
| | 300 mm dia NP 2 2.5 meter Long 30 नं0 | 75 मी0 | 370 | 27750 |
| | 450 mm dia NP 2 2.5 meter Long 24 नं0 | 60 मी0 | 540 | 32400 |
| | | | योग | 152550 |
| | | | वैट5 **%** | 7627.50 |
| | | | अनलोडिंग प्रभार 2½**%** | 3813.75 |
| | | | | **163991.25** |

उक्त हयूम पाईप हॉफ राऊंड नगर परिषद द्वारा सड़कों के किनारे पानी निकासी हेतु नालियाँ बनाने में प्रयोग लाई जानी थी लेकिन नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 194 दिनाँक 11.9.13 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव पारित किया है कि नालियाँ बनाने हेतु हॉफ राऊंड आर0सी0सी0 हयूम पाईप प्रयोग में नहीं लाई जाए। सम्बन्धित फर्म द्वारा बिल संख्या 372 दिनाँक 8.11.13 के अन्तर्गत 192 नं0 व बिल संख्या 391 दिनाँक 16.11.13 के अन्तर्गत 82 नम्बर कुल 274 हॉफ राऊंड पाईपों की सप्लाई/आपूर्ति की गई है। स्वतः स्पष्ट है कि नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 194 दिनाँक 11.9.13 के लगभग दो माह बाद आपूर्ति हुई है जबकि

नगर परिषद दो माह पूर्व उक्त पाईपें प्रयोग में न लाने हेतु प्रस्ताव पारित कर चुकी है। नगर परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के दो माह बाद बिना आवश्यकता व बिना आपूर्ति आदेश के ₹163991/– की उक्त आर0सी0सी0 पाईपों का क्रय किया गया लेकिन यह पाईप अभी तक अनुपयोगी है अर्थात ₹163991/– का अपव्यय किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अप्रयोग पड़ी ₹163991/– की पाईपों को प्रयोग में लाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि अनावश्यक रूप से क्रय की गई आर0सी0सी0 हॉफ राऊंड पाईपों का उपयोग सम्भव हो सके। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) सम्बन्धित फर्म द्वारा बिल में लिए गए अनलोडिंग चार्जिज ₹3813.75 देय नहीं है क्योंकि सम्बन्धित फर्म ने टैंडर में अनलोडिंग प्रभार अतिरिक्त होने की शर्त नहीं लिखी है। अतः अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि ₹3813.75 की वसूली सम्बन्धित फर्म से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 19 कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹456184/– का अधिक/अनुचित भुगतानः–

नगर परिषद द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिनाँक 21.9.12 को अधिसूचित विभिन्न पदों हेतु संशोधित पे व ग्रेड पे का भुगतान बिल निदेशक शहरी विकास विभाग की स्वीकृति एवं नगर परिषद के प्रस्ताव के बगैर अपने स्तर पर करने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में अवधि 1.10.12 से 31.5.14 तक ₹456184/– अधिक एवं अनुचित भुगतान किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितान्त अनिवार्य है कि नगर परिषद ज्वालामुखी में कार्यरत्त श्री उधम सिंह, टोल गार्ड व श्री बॉबी दयाल, पलम्बर जिनकी सेवानिवृति की तिथि 31.10.13 थी, को सेवापंजिकाएं व व्यक्तिगत नस्तियाँ माह 7/13 में नगर परिषद द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग सेवानिवृति उपरान्त देय अन्तिम भुगतानों अर्थात पैन्शन, उपदान की गणना व स्वीकृति हेतु भेजी गई व उक्त दोनों कर्मचारियों को 1.10.12 से संशोधित ग्रेड पे प्रदान की गई थी व तदानुसार वेतन निर्धारण किया गया था। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0डी0–एच(बी) 10–1356/13–7240 दिनाँक 5.8.13 द्वारा नगर परिषद ज्वालामुखी द्वारा सेवानिवृति हेतु निदेशालय को भेजे गए मामलों में स्पष्ट लिखा है कि "The matter regarding revised grade pay to the employees of U.L.B. is under consideration to the govt. hence grade pay is not applicable to

municipality employees." व उक्त कर्मचारियों को गलत तरीके से प्रदान की गई संशोधित ग्रेड पे की अप टू डेट वसूली की जाए व सेवापंजिकाओं में वेतन निर्धारण पुरानी ग्रेड पे के अनुसार किया जाए व तदोपरान्त सेवानिवृति के प्रकरण पुनः स्वीकृति एवं गणना हेतु निदेशालय को भेजे जाएं। उपरोक्त पत्र में उल्लेखित निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला के आदेशों की अनुपालना में उक्त कर्मचारियों की ग्रेड पे 1.10.12 से कम कर दी गई व 1.10.12 से 31.7.13 तक अधिक प्रदान की गई ग्रेड पे के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करने उपरान्त सेवानिवृति के प्रकरण पुनः निदेशालय की स्वीकृति हेतु भेजे गए व निदेशालय द्वारा 1.1.06 से देय ग्रेड पे के अनुसार सेवानिवृति पर प्राप्त होने वाले अन्तिम भुगतानों Pension, gratuity, Commutation, Leave encashm,ent की गणना व स्वीकृति प्रदान की गई है।

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नगर परिषद ज्वालामुखी ने कार्यरत्त 35 कर्मचारियों द्वारा न तो बढ़ी हुई ग्रेड पे कम की गई व न ही 1.10.12 से बढ़ी हुई ग्रेड पे के रूप लिए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की गई। वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान का यह गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण के दौरान ही नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या 143 दिनाँक 27.6.12 के द्वारा लाया गया, जिस पर उन्होंने अंकेक्षण के मत से सहमति जताते हुए माह जून 14 देय 1 जुलाई 14 के वेतन बिलो ंसे संशोधित ग्रेड पे कम कर दी है व अवधि 1.10.12 से 31.5.14 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में नगर परिषद कर्मचारियों किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली हेतु तुरन्त प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। नगर परिषद ज्वालामुखी में कार्यरत्त कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवं अनुचित भुगतान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

Detail of Recovery on account of irregular payment of Grade Pay of Nagar Parishad Jawalamukhi

| Sr. No. | Name & Designation of Employee | Due pay+Grade Pay | Drawn pay+Grade Pay | Difference | DA Rate | Amount | Total | Period | No. of Month | Amount | Grand Total of Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sh. Rakesh Kumar Sr. Clerk | 14450+2800<br>14970+2800<br>15510+2800 | 14450+3600<br>14990+3600<br>15550+3600 | 800<br>820<br>840 | 72%<br>80%<br>90% | 576<br>656<br>756 | 1376<br>1476<br>1596 | 1.10.12 to 31.12.12<br>1.1.13 to 30.6.13<br>1.7.13 to 31.5.14 | 3<br>6<br>11 | 4128<br>8856<br>17756 | 30540 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sh. Sansar | 13590+2800 | 13590+3600 | 800 | 72% | 576 | 1376 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 4128 | |
| | Chand Sr. | 13590+2800 | 13590+3600 | 800 | 80% | 640 | 1440 | 1.1.13 to 30.4.13 | 4 | 5760 | |
| | Clerk | 14090+2800 | 14110+3600 | 820 | 80% | 656 | 1476 | 1.5.13 to 30.6.13 | 2 | 2952 | |
| | | 14090+2800 | 14110+3600 | 820 | 90% | 738 | 1558 | 1.7.13 to 30.4.14 | 10 | 15580 | |
| | | 14600+2800 | 14650+3600 | 850 | 90% | 765 | 1615 | 1.5.14 to 31.5.14 | 1 | 1615 | 30035 |
| 3 | Sh. Bipan | 10010+1950 | 10300+3200 | 1540 | 72% | 1109 | 2649 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 7947 | |
| | Chand | 10370+1950 | 10710+3200 | 1590 | 80% | 1272 | 2862 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 17172 | |
| | Clerk | 10740+1950 | 11130+3200 | 1640 | 90% | 1476 | 3116 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 34276 | 59395 |
| 4 | Sh. Hari | 11800+1400 | 11800+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Ram Peon | 11800+1400 | 11800+1650 | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 31.1.13 | 1 | 450 | |
| | | 12200+1400 | 12210+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.2.13 to 30.6.13 | 5 | 2340 | |
| | | 12200+1400 | 12210+1650 | 260 | 90% | 234 | 494 | 1.7.13 to 31.1.14 | 7 | 3458 | |
| | | 12610+1400 | 12630+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.2.14 to 31.5.14 | 4 | 2052 | 9590 |
| 5 | Sh. | 8270+1400 | 8270+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Dharam | 8560+1400 | 8570+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2808 | |
| | Parkash | 8860+1400 | 8880+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 5693 | 9741 |
| | Peon | | | | | | | | | | |
| 6 | Sh. Anil | 5910+1300 | 5910+1650 | 350 | 72% | 252 | 602 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1806 | |
| | Kumar | | | 350 | 80% | 280 | 630 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 3780 | |
| | Chowkidar | 6130+1300 | 6140+1650 | 360 | 90% | 324 | 684 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 7524 | 13110 |
| 7 | Sh. | 12190+2800 | 12190+3200 | 400 | 72% | 288 | 688 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 2064 | |
| | Rakesh | | | 400 | 80% | 320 | 720 | 1.1.13 to 31.3.13 | 3 | 2160 | |
| | Kumar | 12640+2800 | 12660+3200 | 420 | 80% | 336 | 756 | 1.4.13 to 30.6.13 | 3 | 2268 | |
| | Assistant | | | 420 | 90% | 378 | 798 | 1.7.13 to 31.3.14 | 9 | 7182 | |
| | Draftsman | 13110+2800 | 13140+3200 | 430 | 90% | 387 | 817 | 1.4.14 to 31.5.14 | 2 | 1634 | 15308 |
| 8 | Sh. Desh | 8270+1400 | 8270+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Raj | 8560+1400 | 8570+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2808 | |
| | Beldar | 8860+1400 | 8880+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 5693 | 9741 |
| 9 | Sh. | 8270+1400 | 8270+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Kailash | 8560+1400 | 8570+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2808 | |
| | Chand | 8860+1400 | 8880+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 5693 | 9741 |
| | Beldar | | | | | | | | | | |
| 10 | Sh. Shakti | 8270+1400 | 8270+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Chand | 8560+1400 | 8570+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2808 | |
| | Beldar | 8860+1400 | 8880+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 5693 | 9741 |
| 11 | Sh. Rajesh | 7990+1400 | 7990+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Kumar | | | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 31.3.13 | 3 | 1350 | |
| | Beldar | 8280+1400 | 8280+1650 | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.4.13 to 30.6.13 | 3 | 1350 | |
| | | | | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.7.13 to 31.3.14 | 9 | 4275 | |
| | | 8580+1400 | 8580+1650 | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.4.14 to 31.5.14 | 2 | 950 | 9215 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sh. Sunil | 7750+1400 | 7750+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Kumar | | | 2650 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2700 | |
| | Beldar | | | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.7.13 to 31.7.13 | 1 | 475 | |
| | | 8030+1400 | 8040+1650 | 260 | 90% | 234 | 494 | 1.8.13 to 31.5.14 | 10 | 4940 | 9405 |
| 13 | Sh. | 5910+1300 | 5910+1650 | 350 | 72% | 252 | 602 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1806 | |
| | Naresh | | | 350 | 80% | 280 | 630 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 3780 | |
| | Kumar | | | 350 | 90% | 315 | 665 | 1.7.13 to 31.7.13 | 1 | 665 | |
| | Beldar | 6130+1300 | 6140+1650 | 360 | 90% | 324 | 684 | 1.8.13 to 31.5.14 | 10 | 6840 | 13091 |
| 14 | Sh. Balli | 5910+1300 | 5910+1650 | 350 | 72% | 252 | 602 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1806 | |
| | Ram | | | 350 | 80% | 280 | 630 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 3780 | |
| | Beldar | | | 350 | 90% | 315 | 665 | 1.7.13 to 31.7.13 | 1 | 665 | |
| | | 6130+1300 | 6140+1650 | 360 | 90% | 324 | 684 | 1.8.13 to 31.5.14 | 10 | 6840 | 13091 |
| 15 | Sh. Jeeva | 5910+1300 | 5910+1650 | 350 | 72% | 252 | 602 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1806 | |
| | Nand | | | 350 | 80% | 280 | 630 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 3780 | |
| | Beldar | | | 350 | 90% | 315 | 665 | 1.7.13 to 31.7.13 | 1 | 665 | |
| | | 6130+1300 | 6140+1650 | 360 | 90% | 324 | 684 | 1.8.13 to 31.5.14 | 10 | 6840 | 13091 |
| 16 | Smt. | 7750+1400 | 7750+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Parveen | | | 2650 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2700 | |
| | Kumari | | | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.7.13 to 31.7.13 | 1 | 475 | |
| | Sweeper | 8030+1400 | 8040+1650 | 260 | 90% | 234 | 494 | 1.8.13 to 31.5.14 | 10 | 4940 | 9405 |
| 17 | Sh. Ram | 5910+1300 | 5910+1650 | 350 | 72% | 252 | 602 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1806 | |
| | Singh | | | 350 | 80% | 280 | 630 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 3780 | |
| | Sweeper | | | 350 | 90% | 315 | 665 | 1.7.13 to 31.7.13 | 1 | 665 | |
| | | 6130+1300 | 6140+1650 | 360 | 90% | 324 | 684 | 1.8.13 to 31.5.14 | 10 | 6840 | 13091 |
| 18 | Sh. Harpal | 10100+1400 | 10100+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Sweepar | | | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2700 | |
| | | | | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.7.13 to 30.9.13 | 3 | 1425 | |
| | | 10450+1400 | 10460+1650 | 260 | 90% | 234 | 494 | 1.10.13 to 31.5.14 | 8 | 3952 | 9367 |
| 19 | Sh. Ram | 7990+1400 | 7990+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Gopal | | | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 31.3.13 | 3 | 1350 | |
| | Sweeper | 8280+1400 | 8280+1650 | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.4.13 to 30.6.13 | 3 | 1350 | |
| | | | | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.7.13 to 31.3.14 | 9 | 4275 | |
| | | 8580+1400 | 8580+1650 | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.4.14 to 31.5.14 | 2 | 950 | 9215 |
| 20 | Smt. | 9880+1400 | 9880+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Bishni | | | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 30.4.13 | 4 | 1800 | |
| | Devi | 10220+1400 | 10230+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.5.13 to 30.6.13 | 2 | 936 | |
| | Sweeper | | | 260 | 90% | 234 | 494 | 1.7.13 to 31.12.13 | 6 | 2964 | |
| | | | | 260 | 90% | 234 | 494 | 1.1.14 to 30.4.14 | 4 | 1976 | |
| | | 10570+1400 | 10590+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.5.14 to 31.5.14 | 1 | 513 | 9479 |
| 21 | Smt. Rani | 5910+1300 | 5910+1650 | 350 | 72% | 252 | 602 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1806 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Devi | | | 350 | 80% | 280 | 630 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 3780 | |
| | Sweeper | | | 350 | 90% | 315 | 665 | 1.7.13 to 31.7.13 | 1 | 665 | |
| | | 6130+1300 | 6140+1650 | 360 | 90% | 324 | 684 | 1.8.13 to 31.12.13 | 5 | 3420 | |
| | | | | 360 | 90% | 324 | 684 | 1.1.14 to 31.5.14 | 5 | 3420 | 13091 |
| 22 | Sh. | 7990+1400 | 7990+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Tikkam | | | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 31.3.13 | 3 | 1350 | |
| | Singh | 8280+1400 | 8280+1650 | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.4.13 to 30.6.13 | 3 | 1350 | |
| | Sweeper | | | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.7.13 to 31.3.14 | 9 | 4275 | |
| | | 8580+1400 | 8580+1650 | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.4.14 to 31.5.14 | 2 | 950 | 9215 |
| 23 | Sh. Sewak | 8270+1400 | 8270+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Ram | 8560+1400 | 8570+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2808 | |
| | Sweeper | 8860+1400 | 8880+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 5693 | 9741 |
| 24 | Smt. | 5910+1300 | 5910+1650 | 350 | 72% | 252 | 602 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1806 | |
| | Deepa | | | 350 | 80% | 280 | 630 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 3780 | |
| | Sweeper | 6130+1300 | 6140+1650 | 360 | 90% | 324 | 684 | 1.7.13 to 31.12.13 | 6 | 4104 | |
| | | | | 360 | 90% | 324 | 684 | 1.1.14 to 31.5.14 | 5 | 3420 | 13110 |
| 25 | Smt. | 8270+1400 | 8270+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Pushpa | 8560+1400 | 8570+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2808 | |
| | Devi | 8860+1400 | 8880+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 5693 | 9741 |
| | Sweeper | | | | | | | | | | |
| 26 | Sh. Rattan | 11475+1400 | 11475+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Devi | | | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2700 | |
| | Sweeper | | | 250 | 90% | 225 | 475 | 1.7.13 to 31.7.13 | 1 | 475 | |
| | | 11865+1400 | 11880+1650 | 265 | 90% | 238.50 | 503.50 | 1.8.13 to 31.5.14 | 10 | 5035 | 9500 |
| 27 | Sh. | 8250+1400 | 8250+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Madan | | | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 30.5.13 | 5 | 2250 | |
| | Lal | 8540+1400 | 8550+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.6.13 to 30.6.13 | 1 | 468 | |
| | Sweeper | | | 260 | 90% | 234 | 494 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 5434 | 9442 |
| 28 | Sh. Har | 8270+1400 | 8270+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Lal | | | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 31.3.13 | 3 | 1350 | |
| | Sweeper | 8560+1400 | 8570+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.4.13 to 30.6.13 | 3 | 14404 | |
| | | | | 260 | 90% | 234 | 494 | 1.7.13 to 31.3.14 | 9 | 4446 | |
| | | 8860+1400 | 8880+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.4.14 to 31.5.14 | 2 | 1026 | 9516 |
| 29 | Sh. Saran | 8270+1400 | 8270+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Dass | | | 250 | 80% | 200 | 450 | 1.1.13 to 31.3.13 | 3 | 1350 | |
| | Cleaner | 8560+1400 | 8570+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.4.13 to 30.6.13 | 3 | 14404 | |
| | | | | 260 | 90% | 234 | 494 | 1.7.13 to 31.3.14 | 9 | 4446 | |
| | | 8860+1400 | 8880+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.4.14 to 31.5.14 | 2 | 1026 | 9516 |
| 30 | Sh. Raj | 8270+1400 | 8270+1650 | 250 | 72% | 180 | 430 | 1.10.12 to 31.12.12 | 3 | 1290 | |
| | Kamal | 8560+1400 | 8570+1650 | 260 | 80% | 208 | 468 | 1.1.13 to 30.6.13 | 6 | 2808 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toll<br>Guard | 8860+1400 | 8880+1650 | 270 | 90% | 243 | 513 | 1.7.13 to 31.5.14 | 11 | 5693 | 9741 |
| 31 | Sh. Piar<br>Chand<br>Toll<br>Guard | 8270+1400<br>8560+1400<br>8860+1400 | 8270+1650<br>8570+1650<br>8880+1650 | 250<br>260<br>270 | 72%<br>80%<br>90% | 180<br>208<br>243 | 430<br>468<br>513 | 1.10.12 to 31.12.12<br>1.1.13 to 30.6.13<br>1.7.13 to 31.5.14 | 3<br>6<br>11 | 1290<br>2808<br>5693 | <br><br>9741 |
| 32 | Sh. Sukar<br>Din toll<br>guard | 8270+1400<br>8560+1400<br>8860+1400 | 8270+1650<br>8570+1650<br>8880+1650 | 250<br>260<br>270 | 72%<br>80%<br>90% | 180<br>208<br>243 | 430<br>468<br>513 | 1.10.12 to 31.12.12<br>1.1.13 to 30.6.13<br>1.7.13 to 31.5.14 | 3<br>6<br>11 | 1290<br>2808<br>5693 | <br><br>9741 |
| 33 | Sh. Firoj<br>Din Toll<br>Guard | 8270+1400<br>8560+1400<br>8860+1400 | 8270+1650<br>8570+1650<br>8880+1650 | 250<br>260<br>270 | 72%<br>80%<br>90% | 180<br>208<br>243 | 430<br>468<br>513 | 1.10.12 to 31.12.12<br>1.1.13 to 30.6.13<br>1.7.13 to 31.5.14 | 3<br>6<br>11 | 1290<br>2808<br>5693 | <br><br>9741 |
| 34 | Sh. Satish<br>Kumar<br>Toll<br>Guard | 8270+1400<br>8560+1400<br>8860+1400 | 8270+1650<br>8570+1650<br>8880+1650 | 250<br>260<br>270 | 72%<br>80%<br>90% | 180<br>208<br>243 | 430<br>468<br>513 | 1.10.12 to 31.12.12<br>1.1.13 to 30.6.13<br>1.7.13 to 31.5.14 | 3<br>6<br>11 | 1290<br>2808<br>5693 | <br><br>9741 |
| 35 | Sh.<br>Kushal<br>Kumar<br>Toll<br>Guard | 7990+1400<br><br>8280+1400<br><br>8580+1400 | 7990+1650<br><br>8280+1650<br><br>8580+1650 | 250<br>250<br>250<br>250<br>250 | 72%<br>80%<br>80%<br>90%<br>90% | 180<br>200<br>200<br>225<br>225 | 430<br>450<br>450<br>475<br>475 | 1.10.12 to 31.12.12<br>1.1.13 to 31.3.13<br>1.4.13 to 30.6.13<br>1.7.13 to 31.3.14<br>1.4.14 to 31.5.14 | 3<br>3<br>3<br>9<br>2 | 1290<br>1350<br>1350<br>4275<br>950 | <br><br><br><br>9215 |
| | | | | | | Gross Total Sr. No. 1 to 35 | | | | | 456184 |

## 20 श्री महेश शर्मा, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद का दिनाँक 1.1.2003 के पश्चात गलत वेतन निर्धारण करने बारेः–

श्री महेश शर्मा, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त अधिकारी का 1.1.2002 को मूल वेतन ₹8650/– था व 1.1.2003 को एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरान्त मूल वेतन ₹8925 निर्धारित होना था लेकिन 1.1.2003 को मूल वेतन ₹8925 निर्धारण न करके ₹9200 निर्धारित किया गया है व तदानुसार आगामी वर्षों में भी उक्त अधिकारी का मूल वेतन देय वास्तविक मूल वेतन की जगह गलत एवं अधिक निर्धारित किया गया है व उक्त गलत एवं अधिक मूल वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया वर्तमान समय में भी यथावत है। उक्त कर्मचारी/अधिकारी को 1.1.2003 से अधिक मूल वेतन प्रदान/निर्धारण करने व तदानुसार 1.1.2006 से संशोधित पे+ग्रेड गलत निर्धारण के कारण दिनाँक 31.12.13 तक उक्त अधिकारी की हजारों ₹ का वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान किया जा चुका है। अतः अवधि 1.1.2003 से 31.12.13 अथवा

अपटूडेट किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त सेवा पंजिका में सही वेतन निर्धारण की प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाये।

## 21 वाहन एच0पी0 36–3200 की मुरम्मत बारेः–

वाऊचर संख्या 126 दिनाँक 8.6.12 के अन्तर्गत मैसर्ज अखिल ऑटों ज्वालामुखी को ₹24100/– का भुगतान नगर परिषद की गाड़ी संख्या–एच0पी0 36–3200 की मुरम्मत करने पर किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

| **क्र0सं0** | **सामान का विवरण** | **मात्रा** | **दर** | **मूल्य** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Change of Battery 12 volt | 1 | 8000 | 8000 |
| 2 | Self repair with Armeter | शून्य | 1800 | 1800 |
| 3 | Altenator repair | शून्य | 950 | 950 |
| 4 | Front & Rear Light System with parts | शून्य | 1500 | 1500 |
| 5 | Wiper Machine | – | 750 | 750 |
| 6 | Shoe Patching Job | – | 2500 | 2500 |
| 7 | Body wielding | – | 3000 | 3000 |
| 8 | Accelarator System repair | – | 200 | 200 |
| 9 | Body Paint | – | 1400 | 1400 |
| 10 | Kamani leaf | 4 | 1000 | 4000 |
| | | | **कुल योग** | **24100** |

उपरोक्त वाहन की मुरम्मत बिल की जाँच करने पर निम्नलिखित अभियुक्तियाँ अपेक्षित है, जिनका निराकरण किया जाए।

**(1)** उक्त वाहन की मुरम्मत कार्य करवाने के पूर्व जो तीन निविदाएं ली गई है उन निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया है कि एक फर्म ने दो निविदाएं भरी है व तीसरी निविदा अखिल ऑटो की है। लक्ष्मी ऑटो नजदीक पैट्रोल पम्प व लक्ष्मी ऑटो रिपेयर नजदीक पैट्रोल पम्प दोनों एक ही फर्म है। फलस्वरूप एक ही फर्म से दो अलग–2 दरों की निविदाएं लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) गाड़ी की मुरम्मत अधिकृत डीलर (Authorised dealer) अथवा अधिकृत सर्विस स्टेशन से न करवाकर स्थानीय मैकनिक से करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अधिकृत सर्विस स्टेशन की मुरम्मत की दरों की तुलना मुरम्मत करवाई गई दरों से की जाए व किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त वसूली की जानी अपेक्षित है।

(3) गाड़ी की मुरम्मत करवाने के कारण पुराने सामान की जगह नया सामान फिक्स करने के कारण पुराने सामान की प्रविष्टि मुरम्मत व रख रखाव लॉगबुक (Maintainance Log Book) में की जानी अपेक्षित थी, लेकिन रख–रखाव/मुरम्मत लॉग बुक तैयार नहीं की गई है न पुराने किसी सामान की स्टॉक प्रविष्टि की गई, जोकि स्वतः अनियमितता है व जिसके अभाव में करवाई गई मुरम्मत की वास्तविकता की सत्यापना सम्भव नहीं है। अतः नए बदले गए सम्पूर्ण सामान के कारण प्राप्त पुराना सम्पूर्ण सामान की स्टॉक प्रविष्टि Repair & maintenance लॉगबुक में की जाए व सत्यापना हेतु उक्त लॉग बुक आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। ताकि करवाई गई मुरम्मत की वास्तविक की सत्यापना सम्भव हो सके।

(4) भविष्य में गाड़ी की मुरम्मत अधिकसर्विस स्टेशन अथवा अधिकृत एंजेसी से मुरम्मत का पूर्व आंकलन करवाने के उपरान्त ही करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(5) क्रम संख्या 1 व 10 पर उल्लेखित क्रमशः 12 volt battery व कमानी लीफ मूल्य ₹12000/– के बदले जाने के कारण पुरानी 12 बोल्ट की बैटरी व 4 कमानी लीफ का पुनः विक्रय मूल्य का आँकलन करवाया जाये व तदानुसार उन्हें बेचा जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर परिषद को पुनः विक्रय (Resale) से कुछ आय प्राप्त हो सके।

## 22 औसतन आधार पर स्ट्रीट लाईट के मीटरों के बिजली के बिलों का भुगतान करनाः–

वाऊचर संख्या 438 माह 12/13 के अन्तर्गत दिनाँक 26.12.13 को हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड मण्डल ज्वालामुखी स्ट्रीट लाईटों हेतु लगाये गये मीटरों के बिजली के बिलों के रूप में ₹53923/– का भुगतान किया गया है। उक्त बिजली के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि खाता नम्बर एए–336 S/L के अन्तर्गत मीटर नम्बर 1 व 2 की यूनिट खपत 1000 यूनिट व 2000 यूनिट औसतन आधार पर व खाता संख्या AGT/14 के अन्तर्गत मीटर नम्बर 4 की यूनिट खपत 1000 यूनिट दर्शाई गई है जबकि उक्त तीनों मीटरो ंकी पुरानी व नई रीडिंग क्रमशः ₹27100, ₹10660 व ₹18530 यथावत है। गत मासों में उक्त बिजली के

मीटरो ंकी युनिट खपत कभी भी 1000 व 2000 यूनिट नहीं रही है। फलस्वरूप विद्युत विभाग द्वारा उक्त तीनों मीटरों हेतु औसतन 1000 यूनिट व 2000 व 1000 यूनिट खपत के हिसाब से बिजली बिल देना न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वह खराब पड़े उक्त तीनों मीटरों को बदलवाने हेतु यथोचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करें ताकि गत कई मासों से औसतन आधार पर विद्युत विभाग द्वारा लिए जा रहे स्ट्रीट लाईट के बिजली बिलों की खपत का वास्तविक खपत के अनुसार भुगतान किया जा सके व नगर परिषद को अनावश्यक व्यय से बचाया जा सके कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**23 ₹1580/– के सामान की स्टॉक प्रविष्टि न करनाः–**

वाऊचर संख्या 398 दिनाँक 2.12.13 के अन्तर्गत मैसर्ज सुभाष चन्द अग्रवाल, ज्वालामुखी को ₹1580 से निम्नलिखित सामान क्रय किया गया हैः–

| क्र0सं0 | सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गिलास व टमबलर | 2 दर्जन | 200 प्रति दर्जन | 400 |
| 2 | कप सैट | 4 | 245 | 980 |
| 3 | प्लास्टिक जग | 2 | 100 | 200 |
| | | | | **1580** |

उपरोक्त उल्लेखित सामान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि दर्ज नहीं है। अतः स्टॉक प्रविष्टि न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वाँछित स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टर में अब की जाए व भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए।

**24 Retarring का कार्य अत्याधिक उच्च दरों पर आंबटित करने के कारण नगर परिषद को ₹436923 की वित्तीय हानिः–**

कार्य का नामः– Retarring of road NH-88 yatri Niwas to Parikarma Path

अवार्ड पत्र संख्याः– NPJ 1464 Dated 27.8.13

ठेकेदार का नामः– संजय शर्मा

वाऊचर नम्बर 361 दिनाँक 1.11.13

मापन पुस्तिका नम्बरः— 45 पेज 8 से 11

अनुमानित लागतः—834000

कार्य निष्पादन लागतः— 1092309

कार्य निष्पादन हेतु आंबटित राशि 1335188 (60.09% above HPSR 2009)

उपरोक्त कार्य की जाँच करने पर निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है जिनका निराकरण किया जाए।

(1) उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत का प्राकलन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही तैयार किया गया है। बिना अनुमानित लागत के प्राकलन के अनुमानित लागत ₹834000/— कैसे निर्धारित की गई है, का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) उक्त कार्य हेतु टैण्डर आमन्त्रित करने से पूर्व निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई है अर्थात उक्त कार्य हेतु विस्तृत प्रचार एवं प्रसार नहीं किया गया है, जबकि कार्य की लागत को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार हेतु विज्ञापन न्यूनतम दो अखबारों में दिया जाना अनिवार्य था। अतः विस्तृत प्रचार एवं प्रसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(3) उक्त कार्य हेतु टैण्डर फर्म कब विक्रय किये गये किस—2 संविदाकार को विक्रय किए गए है, कब भरे हुए टैण्डर प्राप्त हुए है, से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड नगर परिषद कार्यालय में मौजूद नहीं है, क्योंकि नगर परिषद द्वारा न तो टैण्डर विक्रय रजिस्टर (Tender Sold Register) व न ही टैण्डर खोलने का रजिस्टर (Tender opening Register) तैयार किया गया है। उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(4) उक्त कार्य आंबटित करने से पूर्व कोई विभागीय दर न्यायोचितता तैयार नहीं की गई है जिसका औचित स्पष्ट किया जाए।

(5) उक्त Retarring कार्य मानक पर सूची 2009 की तुलना में 60.09% अधिक दरो पर करवाया गया है जबकि इसके पूर्व माह 7/13 में Retarring का कार्य retiring road from Dehra road to Shamshanghat संविदाकार ज्ञानेश्वर शर्मा से मानक दर सूची 2009 की तुलना में 20.20% अधिक दरों पर करवाया गया व उक्त कार्य के बाद में माह 02/14 में retiring & Road from NH-88 to ganesh house संविदाकार शत्रुघन शर्मा से 20.07% उच्च दरों पर मानक दर सूची 2009 की तुलना में करवाया गया है। उक्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि श्री संजय शर्मा को अनैतिक एवं अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से उक्त कार्य अत्याधिक उच्च दरों पर आंबटित किया गया है व प्रचलित बाजार दरों का अध्ययन एवं विश्लेषण किए

बगैर उक्त कार्य 40**%** अधिक दरों पर किया गया है जिसके कारण नगर परिषद का कार्य समाप्ति लागत ₹1092309/– का 40**%** ₹436923/– की वित्तीय हानि हुई है जिस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में कार्य आंबटन से पूर्व प्रचलित बाजारीय दरों का विशेष ध्यान रखा जाए।

**(6)** शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0–ए(3) 5/2007 दिनाँक 10.3.10, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल वर्क रूल्स 2010 के अनुसार ₹5 लाख से अधिक के कार्यों की प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकृति निदेशक शहरी विकास विभाग से ली जानी अनिवार्य है। अतः सक्षम अधिकारी से उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वाँछित प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(7)** मानक दर सूची 2009 की तुलना में 60.09**%** अधिक दरों पर करवाए गए उक्त कार्य Retiring of road NH-88 yatri niwas to parikarma Path की लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त समय में उक्त प्रवृति के करवाए गए कार्यों की दर प्रतिशतता से तुलना की जाए व अधिक भुगतान की अवस्था उत्तरदायित्व निर्धारण उपरान्त उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली की जानी अपेक्षित है।

## 25 श्री जापान सिंह ठेकेदार को ₹3290/– का अधिक/अनुचित भुगतानः–

Name of work:- C/O Children Park on Kangra road in ward No. 4

Name of Contractor: Japan Singh

Date of Award: NPJ/623 dated 6.6.12

Completion Cost: 182847

Measurement Back in 44 Page 54

उपरोक्त कार्य के बिल की जाँच करने पर पाया गया कि गणना में त्रुटि के कारण मद संख्या 8 Providing & Fixing iron grill for work श्री जापान सिंह संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹3290/– का अधिक/अनुचित भुगतान हुआ है।

| मद सं0 | देय मात्रा | दी गई मात्रा | अधिक मात्रा | दर | अधिक एवं गलत भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 461.37कि0ग्रा0 | 508.37कि0ग्रा0 | 47 कि0ग्रा0 | 70 | ₹3290 |

अतः अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से संविदाकार से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित की जाए।

**26 श्री अशोक सूद संविदाकार को ₹2111/– का अधिक भुगतानः–**

Name of work:- C/O Path & Drain from NH-88 Ravinder Sood Home to Reena Verma home

Date of Award:- NP5/1340 dated 31.12.2011

MB No. 44, Page 21 to 24

Estimated Cost:-

Total work Done:-₹217965

उपरोक्त कार्य के बिल की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्या 7 P/F iron Jalla manufacture & term angles flats sqvare war complete in all respect में गणना में त्रुटि के कारण ₹2111/– का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

| मद सं0 | देय मात्रा | भुगतान दी गई मात्रा | अधिक मात्रा | दर | अधिक एवं गलत भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 487.39 कि0ग्रा0 | 519.86 कि0ग्रा0 | 32.47 कि0ग्रा0 | 65 | ₹2110.55 say ₹2111 |

अतः अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि ₹2111/– की सम्बन्धित संविदाकार से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

**27 श्री ज्ञानेश्वर दत्त संविदाकार को ₹1543 का अधिक/ अनुचित भुगतानः–**

कार्य का नामः– C/O & Boundry wall in Sr.Sec. School Jawalamukhi

अवार्ड पत्र संख्याः– NPJ-1192 दिनाँक 15.11.11

ठेकेदार का नामः– ज्ञानेश्वर दत्त

कार्य आंबटन की तिथिः– 15.11.2011

कार्य समाप्ति की तिथिः– 18.1.2012

अनुमानित लागत

माप पुस्तिका संख्याः– 44, पेज 1 से 8

उपरोक्त बिल की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्या 5 की वास्तविक मात्रा की जगह गलत मात्रा उठाने के कारण संविदाकार श्री ज्ञानेश्वर दत्त को ₹1543 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| मद सं0 | मद का विवरण | वास्तविक मात्रा | दर्शाई गई मात्रा | अधिक दर्शाई गई मात्रा | दर | अधिक एवं गलत भुगतान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20mm cement Plaster in rough side in 1:6 | 162.59 m2 | 178.02 m2 | 15.43m2 | 100 | 1543 |

अतः अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 28 श्री जौन्डू राम संविदाकार को ₹1095 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– देवी ताल, दीप राज हाऊस से नत्थू राम हाऊस तक रास्ते की मुरम्मत

ठेकेदार का नामः– जौन्डू राम

वाउचर संख्या व माहः– 415 दिनाँक 7.12.13

माप पुस्तिका संख्याः– 45 पेज 22

उक्त कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदार को मद संख्या 5 के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार ₹195 का अधिक भुगतान किया गया उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

| **मद सं0** | **मद का विवरण** | **वास्तविक मात्रा** | **दर्शाई गई मात्रा** | **अधिक दर्शाई गई मात्रा** | **दर** | **अधिक एवं गलत भुगतान राशि** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providing & Laying cement concrete in 1:3:6 | 10.95m3 | 3100 | 3200 | 100 | 1095 |

उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा समझौता वार्ता उपरान्त दर ₹3100/– की गई थी, जबकि भुगतान समझौता वार्ता के पूर्व उक्त मद हेतु संविदाकार द्वारा भरी गई दर ₹3200/– पर किया गया है जिसके कारण संविदाकार को ₹1095 का अधिक भुगतान हुआ है।

## 29 श्री जौन्डू राम संविदाकार को ₹367/– का अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः–Providing slab over baradri bobli ward No. 6

अनुमानित लागतः– ₹277147

अवार्डड राशिः– ₹313516, 13.04% above

माप पुस्तिका संख्याः– 44, पेज 37 से 40

वाऊचर नम्बर व दिनाँकः– 162 दिनाँक 28.6.12

उक्त वाऊचर की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्या 3 के गलत गणना के कारण उक्त संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹367 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| **मद सं0** | **मद का विवरण** | **अन्तर** | **देय मात्रा** | **दी गई मात्रा** | **दर** | **मूल्य** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item No 3 | Providing with steel plates | From work 1.36m2 | 237.43m2 | 238.79m2 | 270 | 367 |

## 30 लकड़ियों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करने बारेः–

वाऊचर संख्या 444 दिनाँक 30.12.13 के अन्तर्गत ₹900/– का भुगतान श्री घसीटा राम को आम का वृक्ष काटने पर मजदूरी के रूप में दिए गए है। उक्त आम का वृक्ष काटने से नगर परिषद को कितनी मात्रा व किस आकार की लकड़ी प्राप्त हुई है, का नगर परिषद के पास कोई अभिलेख नहीं है जिसके अभाव में उपयोगी लकड़ी व वालन के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः आम का वृक्ष काटने से प्राप्त लकड़ी का

आकार (लम्बाई व मोटाई) मात्रा व प्राप्त वालन का अभिलेख अब तैयार किया जाए भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापन करवाई जाए।

**31 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि ₹375079/— के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करनाः—**

अंकेक्षण अवधि 1.4.12 से 31.3.14 तक नगर परिषद ज्वालामुखी में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत ₹375079/— प्राप्त हुई है। उक्त SJSRY योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि के व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया है। अभिलेख के अभाव में यह सत्यापित नहीं हो सका कि वास्तविक रूप में उक्त राशि का व्यय शहरी गरीबों के उत्थान एवं उन्नति पर किया गया है अथवा नहीं। क्योंकि उक्त SJSRY योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करके कार्य दक्षता एवं निपुणता प्रदान करना है। अंकेक्षण के दौरान बार—2 अनुरोध करने पर भी उक्त राशि के व्यय करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा उक्त राशि का व्यय शहरी गरीबों के उत्थान की बजाय कहीं अन्य जगह अन्य उद्देश्यों पर कर दिया गया है क्योंकि नगर परिषद द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि के लिए न तो अलग से रोकड़ बही लगाई गई है व न व्यय का अलग—2 हिसाब—किताब/लेखा—जोखा रखा है, जो योजना की शर्तों की गम्भीर अवहेलना है क्योंकि नियमानुसार उक्त योजना की अलग से रोकड़ बही व बैंक खाता रखना अनिवार्य है। अतः उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि का अलग बैंक बचत खाता खुलवाकर व अलग से रोकड़ बही का रख रखाव किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.12 से 31.3.14 तक के दौरान SJSRY योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि की रोकड़ बही तैयार की जाए व आवश्यक जाँच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाई जाए ताकि व्यय के सत्यता की पुष्टि की जा सके।

**32 राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशियों को निर्धारित प्रतिशतता से अधिक वेतन एवं भत्तों पर व्यय करनाः—**

राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशियों को विकास कार्यों पर 75 प्रतिशत व वेतन एवं भत्तों पर 25 प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान है। नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 व 2013—14 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशियों को निर्धारित अनुपात 75:25 में व्यय न करके 50:50 अनुपात में व्यय किया गया है जोकि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान

स्वीकृति शर्तों की गम्भीर अवहेलना है। अतः राज्य वित्त आयोग की अनुदान स्वीकृति की शर्तों के विपरीत विकास कार्यों पर 75**%** की जगह 50**%** व वेतन एवं भत्तों पर 25**%** की जगह 50**%** अनुदान राशि व्यय करने का औचित्य ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए व अनियमित रूप से वेतन एवं भत्तों पर व्यय की गई 25**%** अधिक राशि की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति की शर्तो के अनुरूप ही विकास कार्यों एवं वेतन व भत्तों पर अनुदान राशियों का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अनुदान राशि का सदुपयोग एवं जिन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है। उनकी 100**%** प्राप्ति सम्भव हो सके। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**33 अंकेक्षण अवधि 1.4.12 से 31.3.14 तक करवाए गए ₹8582060/– के 39 निर्माण/मुरम्मत कार्यों के प्राकलन व विभागीय न्यायोचितता तैयार न करनाः–**

अनुदान रजिस्टर अनुसार अवधि 1.4.12 से 31.3.14 तक कुल 39 निर्माण/मुरम्मत कार्यों पर ₹8582060/– व्यय किए गए दर्शाए है। लेकिन उकत सभी कार्यों को करवाने से पूर्व अनुमानित लागत के प्राकलन एवं कार्यों की विभागीय न्यायोचितता तैयार नहीं की गई है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। चर्चा के दौरान बताया गया कि अनुमानित लागत के प्राकलन व विभागीय न्यायोचितता तैयार ही नहीं की गई है। प्राकलन के बगैर टैण्डरों में अनुमानित लागत किस आधार पर भरी गई है, का भी औचित्य ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी भी कार्य के टैण्डर जारी करते समय जो उस कार्य की अनुमानित लागत दर्शाई जाती है वह पूर्णतया तथ्यो के विपरीत एवं कालपनिक होती है क्योंकि उक्त 39 कार्यों में से कई कार्य ऐसे भी है जिनकी अनुमानित लागत अत्याधिक (काल्पनिक) दर्शाई गई है व कार्य समाप्ति लागत अनुमानित लागत से काफी कम है, उक्त प्रकार के कार्यों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | अनुमानित लागत | कार्य समाप्ति की लागत | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retarring & road from NH-88 to Savar Mohalla | 319197 | 251400 | 67797 |
| 2 | C/O Path from Mayur studio towards Arjun Naga | 227800 | 169281 | 59519 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Repair & Path from Behan Chowk to Dr. Kundu house | 194098 | 149434 | 44664 |
| 4 | C/O Drain & R/O Path from pipal tyala to Forest office | 169531 | 83928 | 85603 |
| 5 | C/O road Parikarma road to bhairan Mandir Phase-I | 335350 | 127832 | 207518 |
| 6 | -do- P{hase-II | 335350 | 127832 | 207518 |
| 7 | C/O Culvert Arjun Naga to Ambi Keshwar | 219970 | 147708 | 72262 |
| 8 | Retirring & road from gate No. 5 to amar Chand House | 693451 | 445617 | 247834 |

उपरोक्त तालिका से स्वतः स्पष्ट है कि अनुमानित लागत के प्राकलन तैयार किए बगैर ही अनुमानित लागत के आंकड़ों की जगह काल्पनिक एवं कत्रिम आंकड़े ही टैण्डरों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्शाए जाते है। अवधि 1.4.12 से 31.3.14 तक के सम्पूर्ण कार्यों के प्राकलन एवं विभागीय न्यायोचितता के बगैर सहायक अभियन्ता धर्मशाला द्वारा किस आधार पर कार्यों तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है के सम्बन्ध कोई भी औचित्य अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। यह प्रकरण निदेशक शहरी विकास विभाग के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

**34 अनुदान राशि ₹14094899/– में से ₹5512839/– व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करने बारेः–**

अनुदान रजिस्टर अनुसार अवधि 1.4.12 से 31.3.14 तक नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से व गत वर्षों की शेष बकाया अनुदानों में से अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹14094899/– व्यय किए गए है। उक्त व्यय दर्शाई गई राशि में से ₹8582060/– नगर परिषद द्वारा निर्माण/मुरम्मत कार्यों पर खर्च की गई है व शेष बची राशि (अनुदान) ₹5512839/– के व्यय से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप अनुदान राशि ₹5512839/– किन–2 उद्देश्यों पर खर्च की गई, की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में अनुदानों के विरूद्ध व्यय दर्शाई गई राशि ₹14094899 में से केवल ₹8582060/– निर्माण एवं मुरम्मत कार्यों पर व्यय किए गए है

व शेष अनुदान राशि ₹5512839/– कब, कहाँ व किस उद्देश्य हेतु व्यय किए गए है, का अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि अनुदान राशियों के निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

## 35 अंकेक्षण को अधूरी सूचनाएं प्रदान करनाः–

अंकेक्षण आरम्भ करने से 1½ माह पूर्व कार्यालय अधियाचना संख्या 116 दिनाँक 6.5.14 द्वारा नगर परिषद ज्वालामुखी से अंकेक्षण हेतु आवश्यक सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रानुसार तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया था, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक भी नगर परिषद ज्वालामुखी द्वारा वाँछित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रानुसार तैयार नहीं की गई है व न ही उक्त सूचनाएं अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई है जो सूचनाएं अंकेक्षण में अधूरी प्रदान की गई है, उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

**(1)** मोबाईल टॉवर नवीनीकरण फीस के रूप में दिनाँक 31.3.14 को अदत्त राशि

**(2)** अंकेक्षण अवधि के दौरान वेतन निर्धारण के प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना

**(3)** अनुदान राशियों की सूची में वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 के दौरान कब–2, कितनी–2 राशि, किस वाउचर के अन्तर्गत व्यय की गई व 31.3.14 को व्यय हेतु शेष अनुदान राशि का निर्धारित प्रपत्र पर विवरण

**(4)** अवधि 1.4.12 से 31.3.14 तक के दौरान बिजली व सैनीटरी के खरीदे गए सामान का विवरण

अतः उपरोक्त उल्लेखित सूचनाएं अंकेक्षण को प्रदान न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अपेक्षित सूचनाएं तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

## 36 नगर परिषद द्वारा अतिआवश्यक अभिलेख का रख–रखाव न करनाः–

नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया है

(i) स्थापना जाँच रजिस्टर

(ii) दैनिक भत्ता जाँच रजिस्टर

(iii) चिकित्सा दावा बिल जाँच रजिस्टर

(iv) अग्रिम रजिस्टर

(v) टैण्डर खोलने का रजिस्टर

(vi) टैण्डर विक्रय रजिस्टर

(vii) संविदाकार वही

(viii) प्रतिभूति रजिस्टर

(ix) अनुदान रजिस्टर

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अकाऊट कोर्ड 1975 के अनुसार उपरोक्त उल्लेखित अतिआवश्यक अभिलेख तैयार करना अनिवार्य है लेकिन नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान का उपरोक्त उल्लेखित कोई भी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए व वाँछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

## 37 स्टॉक रजिस्टरों में मदों के वास्तविक शेष की मात्रा से कम शेष दर्शानाः–

स्टॉक रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मदों की स्टॉक रजिस्टर में वास्तविक शेष से कम मात्रा दर्शाई गई है यह अनियमित है। त्रुटियों को अब दूर किया जाए अन्यथा वास्तविक शेष से कम शेष दर्शाए गए सामान के मूल्य का निर्धारण करने उपरान्त उसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

**(क) स्ट्रीट लाईट रजिस्टर नम्बर–xi**

| क्र0सं0 | स्टॉक रजिस्टर पेज नं0 | दिनाँक | सामान का विवरण | वास्तविक शेष की मात्रा | स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई गई मात्रा | कम दर्शाई गई मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 3.4.12 | 10एम0एम0 तार पी0बी0सी0 | 183 मी0 | 43 मी0 | 40मी0 |

**(ख) सेनीटेशन स्टॉक रजिस्टर**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 10.10.13 | चूना | 1 क्विंटल | 50कि0ग्र0 | 50कि0ग्रा0 |

## 38 ₹110/– जमा न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि ट्राला स्टैण्ड रसीद संख्या 241 से 262 दिनाँक 30.3.13 व 31.3.13 तक 22 रसीदें ₹5 प्रति रसीद की दर से ₹110 (22x5) की वसूली जी–8 के अर्त्गत की गई है। लेकिन उक्त वसूली गई राशि परिषद खाते में जमा नहीं किया गया। अतः उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

## 39 अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप दुकानदारों से विलम्ब दण्ड शुल्क के रूप में ₹1498/– की कम वसूलीः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा किराये पर दी गई दुकानों का सम्बन्धित दुकानदारों द्वारा किराया देरी से जमा करवाने के कारण सम्बन्धित दुकानदारों से विलम्ब दण्ड शुल्क वास्तविक विलम्ब दण्ड शुल्क से कम वसूला गया है जबकि अनुबन्ध की शर्त–2 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई दुकान का किरायेदार महीने की 5 तारीख तक किराए का भुगतान नहीं करता है तो उससे 6 तारीख से एक रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड शुल्क वसूला जाएगा। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करके विलम्ब दण्ड शुल्क वास्तविक विलम्ब दण्ड शुल्क से कम वसूला गया है। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करके दुकानदारों द्वारा किराया देरी से जमा करवाने के बावजूद भी विलम्ब दण्ड शुल्क वास्तविक विलम्ब दण्ड शुल्क से कम वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से सभी दुकानदारों से किराया देरी से जमा करवाने के कारण विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली नियमानुसार करने उपरान्त परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। विलम्ब दण्ड शुल्क का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

| क्र0 सं0 | दुकान सं0 | दुकानदार का नाम | किराया जमा करवाने की तिथि नियत तिथि | किराया जमा करवाने की तिथि | जितने दिन देरी से जमा करवाया गया | विलम्ब दण्ड शुल्क की राशि | वसूला गया विलमब दण्ड शुल्क | कम वसूला गया विलम्ब दण्ड शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | उपमन्यु शर्मा | 5.2.12 | 6.7.12 | 152 दिन | 152 | 52 | 100 |
| | | सुपुत्र श्री प्रमोद | 5.8.12 | 19.9.12 | 45 दिन | 45 | 5 | 40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शर्मा | 5.10.12 | 26.12.12 | 82 दिन | 82 | 14 | 68 |
| | | | 5.1.13 | 22.5.13 | 137 दिन | 137 | 70 | 67 |
| | | | 5.6.13 | 3.8.13 | 59 दिन | 59 | 10 | 49 |
| | | | 5.9.13 | 23.12.13 | 109 दिन | 109 | 31 | 78 |
| 2 | 6 | सुशीला शर्मा पत्नी श्री बाबू राम | 5.3.11 | 22.8.12 | 170 दिन | 170 | 120 | 50 |
| 3 | 7 | पवन कुमार सुपुत्र श्री सन्त राम | 5.4.12 | 28.8.12 | 145 दिन | 145 | 86 | 59 |
| | | | 5.9.12 | 20.11.12 | 76 दिन | 76 | — | 76 |
| | | | 5.12.12 | 27.4.13 | 143 दिन | 143 | 12 | 131 |
| | | | 5.5.13 | 12.12.13 | 221 दिन | 221 | 62 | 159 |
| 4 | 8 | सुमन लाल सुपुत्र श्री रत्न चन्द | 5.4.12 | 23.8.12 | 140 दिन | 140 | 100 | 40 |
| | | | 5.9.12 | 20.11.12 | 76 दिन | 76 | — | 76 |
| | | | 5.4.13 | 12.6.13 | 68 दिन | 68 | 15 | 53 |
| | | | 5.9.13 | 22.1.14 | 139 दिन | 139 | 70 | 69 |
| | | | 5.2.14 | 19.3.14 | 42 दिन | 42 | 14 | 28 |
| 5 | 11 | अरूण कुमार सुपुत्र श्री केदार नाथ | 5.12.12 | 4.1.13 | 30 दिन | 30 | 5 | 25 |
| | | | 5.2.13 | 2.3.13 | 25 दिन | 25 | 5 | 20 |
| 6 | 12 | रमेश चन्द सुपुत्र श्री शरण दास | 5.4.12 | 4.5.12 | 29 दिन | 29 | — | 29 |
| | | | 5.6.12 | 6.7.12 | 31 दिन | 31 | — | 31 |
| | | | 5.8.12 | 4.9.12 | 30 दिन | 30 | — | 30 |
| | | | 5.10.12 | 6.12.12 | 62 दिन | 62 | 5 | 57 |
| | | | 5.1.13 | 4.2.13 | 30 दिन | 30 | — | 30 |
| | | | 5.4.13 | 6.6.13 | 62 दिन | 62 | 10 | 52 |
| | | | 5.9.13 | 5.11.13 | 61 दिन | 61 | 10 | 51 |
| | | | 5.1.14 | 4.2.14 | 30 दिन | 30 | — | 30 |
| | | **क्रम संख्या 1 से 6 तक का कुल योग** | | | | | | **₹1498** |

**40 विविधः—**

**(i) 19 दिन के अर्जित अवकाश की सेवा पंजिका में डेबिट प्रविष्टि न करनाः—**

श्री कुशल कुमार, टोल गार्ड की सेवापंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी ने दिनाँक 23.7.05 से 10.8.05 तक 19 दिन का अर्जित अवकाश व्यतीत किया है, लेकिन उक्त व्यतीत किए गए अवकाश की डेबिट प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी के अर्जित अवकाश के खाते में नहीं की गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित कर्मचारी के अर्जित अवकाश के खाते से 19 दिन अर्जित अवकाश कम किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹240/— का गलत भुगतानः—**

वाऊचर संख्या 128 दिनाँक 8.6.12 के अन्तर्गत श्री संसार चन्द व लिपिक को उनकी पत्नी श्रीमती मनोरमा की बीमारी के कारण ₹2464/— का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में भुगतान किया है। उक्त बिल में 30 cop. Revited मूल्य ₹240/— का भुगतान चिकित्सा नियमानुसार देय नहीं है। अतः ₹240/— की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(iii) भौतिक सत्यापन न करवाने बारेः—**

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद की सम्पत्तियों/स्टोर स्टॉक का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 15.17 के अन्तर्गत स्टोर एवं स्टॉक का प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष/ प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः नगर परिषद की सम्पत्तियों के स्टोर एवं स्टॉक का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक वर्ष नगर परिषद की सम्पत्तियों एवं स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**41** **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

**42** **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :—(V)26फिन(एल0ए0डी0)खण्ड—7—7541—7542 दिनांक,11.12.2014 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—2.

**पंजीकृतः**—2. सचिव, नगर परिषद ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

## परिशिष्ट "छ"

**(i) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 03/76**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 15 (ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 15 (सी) | अनिर्णीत |

**(ii) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/78 से 03/79**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 8(i) | अनिर्णीत |

**(iii) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/79 से 03/81**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 17 (ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 17 (बी) | अनिर्णीत |

**(iv) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/83 से 03/85**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 16(12) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 16(24) | अनिर्णीत |

**(v) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/88**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 17 (1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 17 (2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 8 (1) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8 (2) (क्रम संख्या 8, 16, 20, 21, 27, 28, 29 व 30 शेष है) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8 (3) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 12 (1) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 12 (2) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 13(1) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | पैरा 13(7) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 13(8) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 13(बी) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 13(सी) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 13(डी) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 13(ई) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 13(8) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 14(1) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 14(2) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 14(3) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 14 (7) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 14(8) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 14(10) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 14(12) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 14(14) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 14(15) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 14(16) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 14(20) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 14(23) | अनिर्णीत |

**(vi) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/91**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 17(1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 11(2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 11(4) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 11 (5) | |
| 5 | पैरा 12 (1) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 12 (2) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 12 (3) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 12 (4) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | पैरा 13 (1) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 13 (2) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 15 (3) (ग) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 15 (3) (घ) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 15 (12) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 15 (14) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 15 (18) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 15 (19) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 15 (22) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 15 (25) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 15 (30) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 15 (34) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 15 (40) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 15 (47) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 15 (52) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 15 (63) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 15 (73) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 16 (3) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 16 (7) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 16 (19) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 17 (11) | अनिर्णीत |

**(vii) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/92**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 (क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6 (ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6 (ग) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 11 (क) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 11 (ख) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 16 (क) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 18 | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | पैरा 20 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 21 (छ) | अनिर्णीत | |

**(viii) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/96**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 5 | अनुदानों से व्यय करने बारे | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6 | गृहकर की वसूली बारे | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 7 | दुकानों/प्लाटों आदि के किराये की लम्बित वसूलियों बारे | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8 | व्यवसाय कर तथा लाईसैन्स फीस की वसूली बारे | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 10 | दुकानों को गलत ढ़ंग से किराये पर देने बारे | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 11 | 16 दुकानों, 5 खोखो व दा प्लाटों को माह 10/91 में अनियमित ढ़ंग से किराये पट्टे पर देने बारे | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 12 | | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 14 | बस अडडे की आय के गबन राशि ₹22000/– पर ब्याज की वसूली करने बारे। नोट ₹22000/– की जी–8 61/480 दिनाँक 27.9. 2003 द्वारा जमा करवा दी है। | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 17 | | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 18 | | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 19 | | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 28 (क) | | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 28 (ख) | | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 28 (ग) | | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 29 | | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 30 | | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 67 | | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 68 | | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 83 | | अनिर्णीत |

**(ix) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/05**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 5 | सरकारी अनुदानों के सन्दर्भ में | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 7 | वेतन भत्तों के रूप में ₹3836/– के गलत/अधिक भुगतान के सन्दर्भ में (3836 की वसूली की पुष्टि उपरान्त) | निर्णीत |
| 3 | पैरा 10 | श्रीमती पुष्पा देवी (सफाई कर्मचारी) से ₹14850/– में से ₹4850/– वसूली हेतु शेष | अंशतः निर्णीत |
| 4 | पैरा 17 | (₹35822 की वसूली की पुष्टि उपरान्त) | निर्णीत |
| 5 | पैरा 18 | (वाँछित डेबिट प्रविष्टियों की अवकाश खातों में डेबिट प्रविष्टियों की सत्यापना उपरान्त) | निर्णीत |
| 6 | पैरा 27 | | अंशतः निर्णीत |
| 7 | पैरा 29 | | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 30 | किरायेदार/पट्टेधारकों से क्रम संख्या 1 से 6 तक ₹72080 व क्रम संख्या 11 से 13 तक ₹16840 कुल ₹88920 की वसूली न करने बारे | अंशतः निर्णीत |
| 9 | पैरा 31 | किराये की माँग में राशि ₹60830/– कम माँग का लिया जाना क्रम संख्या 27, 21, 24, 6, 5, 1, 11 व 13 पर वर्णित पट्टेधारकों कुल राशि ₹19556 वसूल किए गए। | अंशतः निर्णीत |
| 10 | पैरा 32 | | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 33 | | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 34 | | निर्णीत |
| 13 | पैरा 35 | | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 36 | | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 36 (अ) | | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | पैरा 37 | | निर्णीत |
| 17 | पैरा 38 (1) | | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 38 (2) | | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 39 | | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 40 | | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 41 | | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 42 | | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 44 (बी) | | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 45 (ए से ई) | | अंशतः निर्णीत |
| 25 | पैरा 46 | | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 47 | | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 48 | | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 49 | | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 50 | | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 51 | | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 52 | | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 53 | | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 54 | | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 55 | | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 56 | | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 57 | | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 58 | | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 59 | | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 60 | | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 61 | ₹325 कम वसूली के सन्दर्भ में क्रम संख्या 2 को छोड़ कर शेष राशि जमा करवा दी गई | अंशतः निर्णीत |
| 41 | पैरा 62 | | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा 63 | ₹4000/– के अग्रिम राशियों के समायोजन | अंशतः निर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | बिलों के सन्दर्भ में ₹1000/– की वसूली कर ली गई है व ₹3000/– वसूली हेतु शेष है। | |
| 43 | पैरा 64 | | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा 65 | | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा 66 | | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा 67 | | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा 68 | ₹42191 की वसूली बारे ₹42191/– में से ₹41206/– की वसूली कर ली गई है व शेष राशि ₹985/– व न्यायालय आदेश दिनाँक 2.7.2007 अनुसार ब्याज राशि ₹5000/– वसूली हेतु शेष है | अंशतः निर्णीत |
| 48 | पैरा 69 | | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा 70 | | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा 71 | | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा 72 | | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा 73 | | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा 74 | | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा 75 | | अनिर्णीत |

**(x) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/05 से 03/07**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 (क) | | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 3 (ख) | | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 3 (ग) | | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 3 (घ) | | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 4 (क) | (गृहकर की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित) | स्वतः निर्णीत |
| 6 | पैरा 4 (ख) | | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 4 (ग) | | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 4 (घ) | | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | पैरा 4 (ङ) | | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 5 (क) | गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्रीमती बिशनी देवी (सफाई कर्मचारी) को ₹5829/– व श्री राम कुमार सफाई कर्मचारी को ₹1783/– गलत भुगतान श्रीमती बिशी देवी से ₹5829/– की वसूली कर ली गई है व श्री राम कुमार (सफाई कर्मचारी) से ₹1783 वसूली हेतु शेष है | निर्णीत |
| 11 | पैरा 5 (ख) | | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 5 (ग) | | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 6 (क) | | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 6 (ख) | | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 6 (ग) | | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 6 (घ) | | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 7 (क) | | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 7 (ख) | | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 7 (ग) | | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 7 (घ) | | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 7 (ङ) | | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 7 (च)(1) | | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 7 (च)(2) | | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 7 (च)(3) | | अनिर्णीत |

**(xi) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/09**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 4 (क) | (गृहकर, दुकानों व भवनों के किराए की स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित) | निर्णीत |
| 2 | पैरा 4 (ख) (1) | आरक्षित राशि से कम पर नीलामी करने के | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | परिणामस्वरूप ₹34000/– की हानि | |
| 3 | पैरा 4 (ख) (2) | | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 4 (ख) (3) | | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 4 (ग) | | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 4 (घ) | | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 4 (ङ) (1) | (₹25000 की वसूली की सत्यापना उपरान्त) | निर्णीत |
| 8 | पैरा 4 (ङ) (2) | | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 4 (ङ) (3) | | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 4 (ङ) (4) | | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 4 (च) | | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 4 (छ) | | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 4 (ज) | | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 4 (ञ) | | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 4 (ट) | हिमाचल प्रदेश पथ निगम को दिए गए बुकिंग काऊंटर व दुकानों का किराया वसूल न करना | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 4 (ठ) | | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 4 (ड) | | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 4 (ढ) | | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 4 (ण) | | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 5 (क) | | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 5 (ख) | | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 5 (ग) | वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹3485/– के अधिक भुगतान में से ₹2950 की वसूली करना व ₹535 वसूली हेतु शेष | अंशतः निर्णीत |
| 23 | पैरा 5 (घ) | | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 5 (ङ) | | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 5 (च) | | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | पैरा 6 (क) | | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 6 (ख) | | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 6 (ग) | (₹1358 का यात्रा भत्ता राशि का अधिक भुगतान ₹264 की वसूली कर ली गई है व ₹1094 की वसूली हेतु शेष है) | अंशतः निर्णीत |
| 29 | पैरा 6 (घ) | | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 6 (ङ) | | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 6 (च) | | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 6 (छ) | | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 6 (ज) | | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 6 (झ) | | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 6 (ञ) (1) | | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 6 (ट) | | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 6 (ठ) | | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 6 (ड) | | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 6 (ढ) | | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 6 (ण) | | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा 6 (त) | | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा 7 (क) (1) | | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा 7 (क) (2) | | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा 7 (क) (3) | | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा 7 (ख) | | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा 7 (ग) | | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा 7 (घ) | | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा 7 (ङ) | | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा 7 (च) | | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा 7 (छ) | | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा 7 (ज) | | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा 8 | | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | पैरा 9 | | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा 10 | | अनिर्णीत |

**(x) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/09 से 03/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 | | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 7 (क) | | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 7 (ख) | | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8 (क) | (गृहकर की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित) | स्वतःनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8 (ख) | | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 9 | (दुकान किराए की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित) | निर्णीत |
| 7 | पैरा 10 | जिला समाहर्ता के न्यायलय के निर्णयानुसार श्रीमती कृष्णा रत्न दुकान नम्बर 110 से ₹3603 ब्याज के रूप में व ₹76800/– किराये के रूप में अर्थात कुल ₹80403 की वसूली न करने बारे (दुकान नगर परिषद को सुपुर्द करने के कारण ₹76800 किराया देय नहीं लेकिन ₹3603 ब्याज वसूला जाना अपेक्षित है) | अंशतः निर्णीत |
| 8 | पैरा 11 | | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 12 | | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 13 | | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 14 | | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 15 | | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 16 | | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 17 | | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 18 | | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | पैरा 19 | | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 20 | | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 21 | | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 22 | | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 23 | | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 24 | | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 25 (क) | | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 26 | (₹9727 की वसूली की पुष्टि उपरान्त) | निर्णीत |
| 24 | पैरा 27 | (अर्जित अवकाश की डेबिट प्रविष्टियों व वास्तविक शेषों की सत्यापना उपरान्त) | निर्णीत |
| 25 | पैरा 28 | (जन्मतिथि में संशोधन की सत्यापना व सम्बन्धित कर्मचारी की सेवानिवृति 30.9.13 को हो चुकी है) | निर्णीत |
| 26 | पैरा 29 | | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 30 | | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 31 | श्री राज कुमार संविदाकार को ₹5800/– का अधिक एवं गलत भुगतान | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 32 | | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 33 | | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 34 | | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 35 | | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 36 | | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 37 | | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 38 | | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 39 | | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 40 (क से ङ) | | अनिर्णीत |